अध्याय-I

सामान्य

अध्याय–I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015–16 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े **तालिका–1.1** में दिए गए हैं।

तालिका–1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्योरे	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	12,612.10	16,253.08	19,960.68	20,750.23	25,449.18[1]
	• कर भिन्न राजस्व	889.86	1,135.27	1,544.83	1,557.98	2,185.64
	कुल	**13,501.96**	**17,388.35**	**21,505.51**	**22,308.21**	**27,634.82**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	27,935.23	31,900.39	34,829.11	36,963.07	48,922.68[2]
	• सहायता अनुदान	9,882.98	10,277.92	12,584.03	19,146.26	19,565.60
	कुल	**37,818.21**	**42,178.31**	**47,413.14**	**56,109.33**	**68,488.28**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**51,320.17**	**59,566.66**	**68,918.65**	**78,417.54**	**96,123.10**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**26**	**29**	**31**	**28**	**29**

(स्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

1 इसमें कोषागार द्वारा लेखांकित 'अन्य प्राप्तियाँ' के रूप में ₹ 7.54 लाख शामिल है।

2 पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–14–लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष–0020 निगम कर (₹ 15,377.40 करोड़), 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 10,643.04 करोड़), 0028–आय एवं व्यय पर अन्य कर (₹ 0.39 करोड़), 0032–सम्पत्ति पर कर (₹ 4.31 करोड़), 0037–सीमा शुल्क (₹ 7,849.43 करोड़), 0038–संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 6,577.11 करोड़) तथा 0044–सेवा पर कर (₹ 8,430.37 करोड़) तथा 0045–वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 40.63 करोड) लघु शीर्ष 901– निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क–कर राजस्व में दिखलाए गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 27,634.82 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 29 प्रतिशत था।

वर्ष 2015–16 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को निम्न चित्रात्मक **चार्ट–1.1** में भी दर्शाया गया है :

चार्ट–1.1

वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ 96,123.10 करोड़)

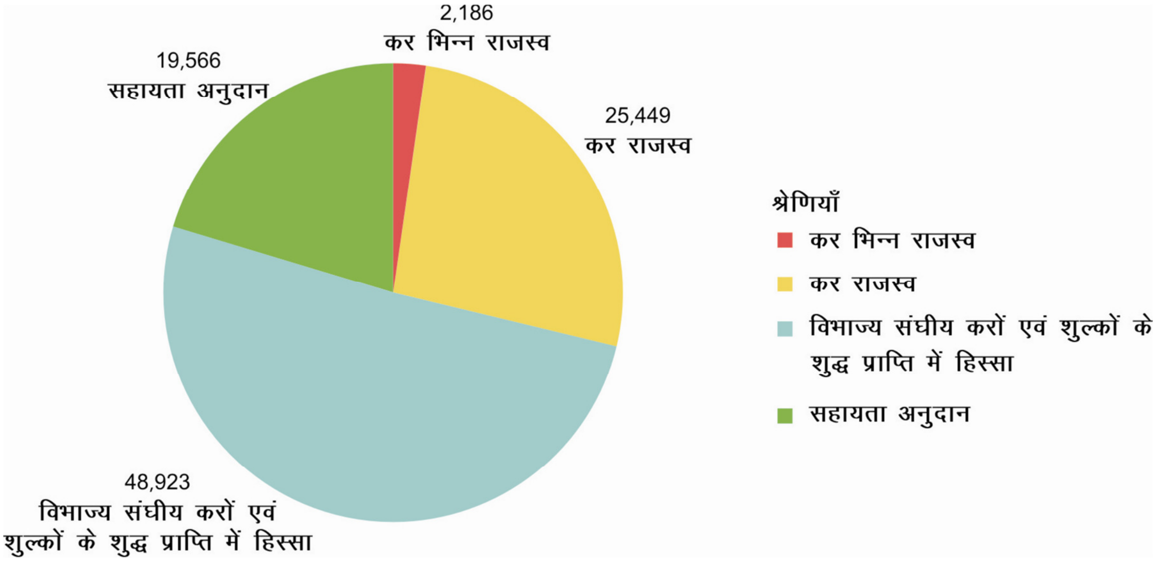

1.1.2 वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में सृजित कर राजस्व का विवरण **तालिका–1.2** में दिया गया है।

<u>तालिका– 1.2</u>

सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	निम्न की तुलना में वर्ष 2015–16 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		<u>बजट अनुमान</u> वास्तविकी	<u>बजट अनुमान</u> वास्तविकी	<u>बजट अनुमान</u> वास्तविकी	<u>बजट अनुमान</u> वास्तविकी	<u>बजट अनुमान</u> वास्तविकी	2015–16 का बजट अनुमान	2014–15 की वास्तविकी
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	<u>6,508.00</u> 7,476.36	<u>8,071.00</u> 8,670.79	<u>12,324.04</u> 8,453.02	<u>12,820.15</u> 8,607.16	<u>16,025.18</u> 10,603.40	(–) 33.83	(+) 23.19
2	माल एवं यात्रियों पर कर	<u>1,940.00</u> 828.30	<u>2,800.00</u> 1,932.12	<u>1,192.75</u> 4,349.00	<u>4,117.50</u> 4,451.25	<u>5,146.88</u> 6,087.12	(+) 18.27	(+) 36.75
3.	राज्य उत्पाद	<u>1,790.00</u> 1,980.98	<u>2,715.00</u> 2,429.82	<u>3,300.00</u> 3,167.72	<u>3,700.00</u> 3,216.58	<u>4,000.00</u> 3,141.75	(–) 21.46	(–) 2.33
4.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	<u>1,600.00</u> 1,480.07	<u>1,906.00</u> 2,173.02	<u>3,200.00</u> 2,712.41	<u>3,600.00</u> 2,699.49	<u>4,000.00</u> 3,408.57	(–)14.79	(+) 26.27
5	वाहनों पर कर	<u>537.00</u> 569.13	<u>644.40</u> 673.39	<u>800.00</u> 837.48	<u>1,000.00</u> 963.56	<u>1,200.00</u> 1,081.22	(–) 9.90	(+) 12.21
6	भू–राजस्व	<u>125.20</u> 167.49	<u>185.00</u> 205.45	<u>205.00</u> 201.71	<u>250.00</u> 277.13	<u>300.00</u> 695.15	(+) 131.72	(+) 150.84
7.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	<u>60.70</u> 54.69	<u>60.70</u> 102.55	<u>66.17</u> 141.31	<u>82.70</u> 374.76	<u>102.50</u> 297.99	(+) 190.72	(–) 20.49
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	<u>24.99</u> 25.52	<u>41.99</u> 28.99	<u>34.14</u> 50.43	<u>48.59</u> 105.34	<u>45.43</u> 69.36	(+) 52.67	(–) 34.16
9.	आय एवं व्यय पर अन्य कर– पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	<u>23.30</u> 29.56	<u>31.00</u> 36.95	<u>32.59</u> 47.60	<u>44.00</u> 54.96	<u>55.00</u> 64.55	(+) 17.36	(+) 17.45
कुल		**<u>12,609.19</u>** **12,612.10**	**<u>16,455.09</u>** **16,253.08**	**<u>21,154.69</u>** **19,960.68**	**<u>25,662.94</u>** **20,750.23**	**<u>30,874.99</u>** **25,449.11**	(–)17.57	**(+) 22.64**

{(स्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत)}

बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान सृजित कर राजस्व को निम्न चित्रात्मक चार्ट 1.2 में भी दर्शाया गया है।

चार्ट–1.2

वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व (₹ 25,449.11 करोड़)

(₹ करोड़ में)

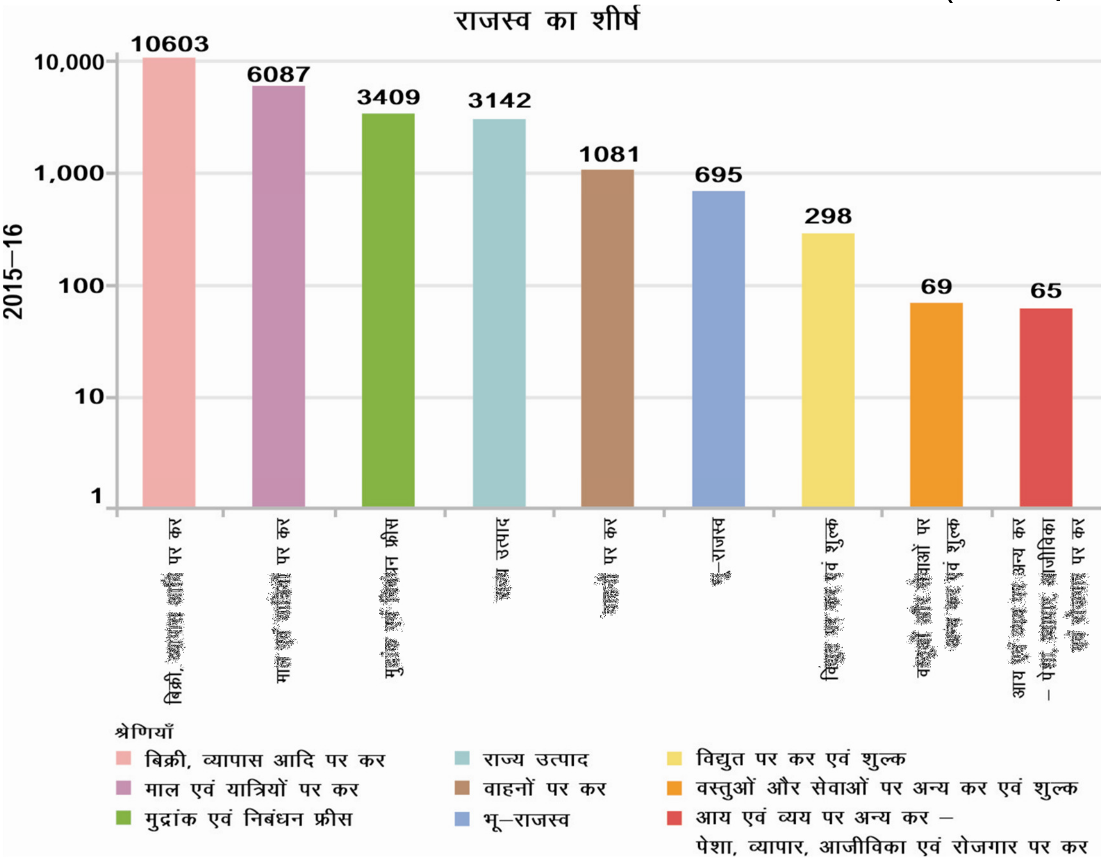

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान बजट आकलन एवं वास्तविकी में (–) 33.83 से (+) 190.72 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। पुनः करों के विभिन्न शीर्षों के तहत् वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के वास्तविकी में (–) 34.16 प्रतिशत से (+) 150.84 प्रतिशत तक की भिन्नता थी।

संबंधित विभागों ने भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया था।

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: वर्ष 2014–15 के वास्तविकी की तुलना में यह वृद्धि (23.19 प्रतिशत) कुछ वस्तुओं (डब्बा बंद, ब्रान्डेड एवं परिरक्षित नमकीन, यू.पी.एस.; ड्राई फ्रूट, ऑटो पार्टस, बैटरी पार्टस तथा औद्योगिक इनपुट के अंतर्गत औद्योगिक केबल एवं विद्युतीय माल) पर कर के दर का 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत किया जाना, अवर्गीकृत वस्तुओं पर कर दर 13.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.5 प्रतिशत किया जाना, अधिभार के दर का 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत बढ़ाया जाना तथा चलन्त जाँच एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किए जाने तथा कर भुगतान करने वाले निबंधित व्यवसायियों में वृद्धि के कारण हुई।

माल एवं यात्रियों पर कर: वर्ष 2014–15 के वास्तविकी की तुलना में यह वृद्धि (36.75 प्रतिशत) विद्युतीय मालों पर प्रवेश कर का दर 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत बढाए जाने के कारण हुई।

राज्य उत्पाद: वर्ष 2015–16 के बजट आकलन की तुलना में यह कमी (21.46 प्रतिशत) का कारण मद्यनिषेध की घोषणा को ठहराया गया।

मुद्रांक एवं निबंधन फीसः वर्ष 2014–15 के वास्तविकी की तुलना में यह वृद्धि (26.27 प्रतिशत) निबंधित विलेखों की संख्या में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।

भू–राजस्वः वर्ष 2014–15 के वास्तविकी (150.84 प्रतिशत) तथा वर्ष 2015–16 के बजट आकलन (131.72 प्रतिशत) की वृद्धि, वर्ष के दौरान भू–अर्जन से संबंधित स्थापना प्रभार, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य कम्पनियों को हस्तांतरित सरकारी भूमि के मूल्य का संग्रहण तथा माँग में वृद्धि के कारण हुई।

माँगे जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के बीच) के बावजूद, परिवहन विभाग ने भिन्नता का कारण सूचित नहीं किया (अक्टूबर 2016)।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार बजट आकलन तैयार करते समय वास्तविक इनपुट को ले सकती है क्योंकि बजट आकलन एवं वास्तविकी में काफी भिन्नता पायी गयी थी।

1.1.3 वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका–1.3** में दिया गया है।

तालिका– 1.3

सृजित कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	निम्न की तुलना में वर्ष 2015–16 की वास्तविक में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2015–16 का बजट अनुमान	2014–15 की वास्तविकी
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	280.00 443.10	470.00 511.08	641.00 569.14	750.00 879.87	1,000.00 971.34	(-) 2.87	(+) 10.40
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	370.82 573.70	263.74 167.12	338.48 269.48	202.22 344.77	312.13 583.66	(+) 86.99	(+) 69.29
3.	पुलिस	12.62 9.26	67.83 25.01	70.59 27.27	69.74 29.50	28.93 66.05	(+) 128.31	(+) 123.90
4.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	59.64 11.49	46.56 10.01	65.01 10.18	251.60 21.77	51.25 72.61	(+) 41.68	(+) 233.53
5.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	(-)147.69	422.05	668.26	282.07	491.98		(+) 74.42
	कुल	**889.86**	**1,135.27**	**1,544.83**	**1,557.98**	**2,185.64**		**(+) 40.29**

{(स्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत))}

वर्ष 2015–16 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर भिन्न राजस्व निम्न चित्रात्मक **चार्ट–1.3** में भी दर्शाया गया है:

चार्ट–1.3

वर्ष 2015–16 के दौरान सृजित कर भिन्न राजस्व (₹ 2,185.64 करोड़)

(₹ करोड़ में)

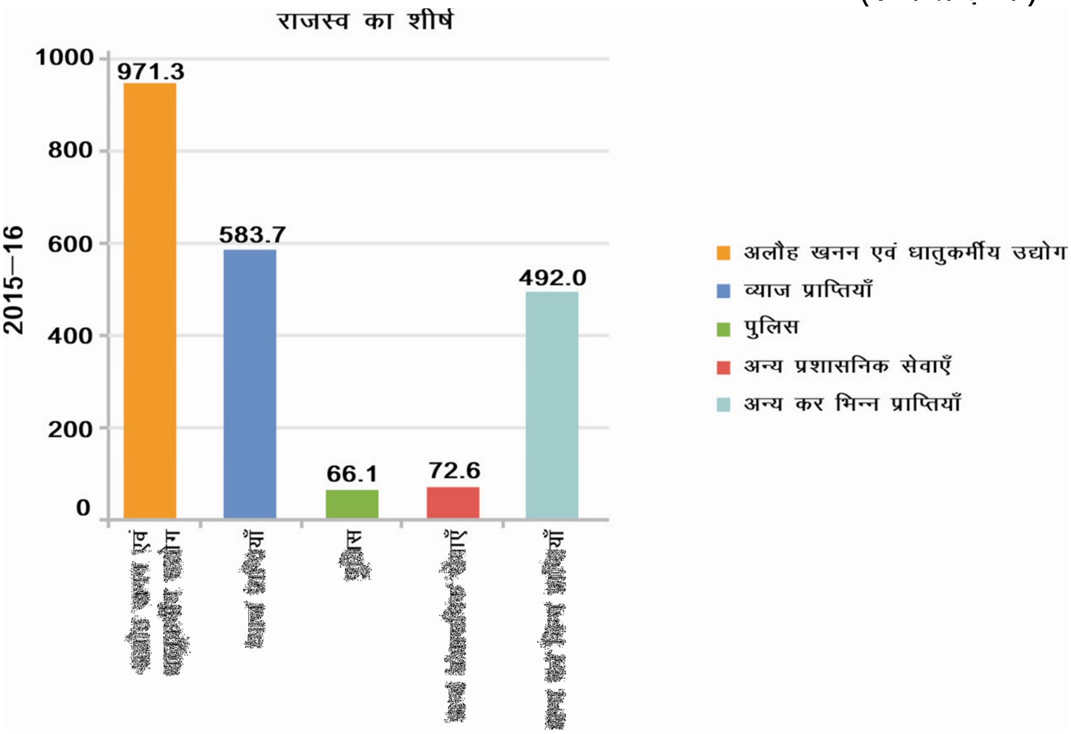

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान बजट आकलन एवं वास्तविकी में (–) 2.87 से (+) 128.31 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। पुनः, कर भिन्न राजस्व के विभिन्न शीर्षों के तहत् वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के वास्तविकी में (–) 10.40 से (+) 233.53 प्रतिशत तक की भिन्नता था।

संबंधित विभाग ने माँगे जाने के बावजूद (अप्रैल और जुलाई 2016) भिन्नता का कारण प्रतिवेदित (अक्टूबर 2016) नहीं किया।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख शीर्षों से संबंधित 31 मार्च 2016 को बकाया राजस्व ₹ 5,728.97 करोड़ था, जिसमें से ₹ 500.03 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिनका ब्योरा **तालिका–1.4** में दिया गया है।

तालिका– 1.4

राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2016 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	लम्बन की स्थिति
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,206.42	315.95	₹ 2,206.42 करोड़ में से ₹ 309.93 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 318.44 करोड़ एवं ₹ 61.55 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी,

				₹ 76.18 लाख की राशि कर–निर्धारिती/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 1.27 करोड़ माफी के योग्य एवं ₹ 1,514.47 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	1,960.94	9.98	₹ 1,960.94 करोड़ में से ₹ 76.50 लाख की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 1,738.07 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 222.10 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	891.54	2.11	₹ 891.54 करोड़ में से ₹ 20.73 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 870.81 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
4.	राज्य उत्पाद	60.09	16.13	₹ 60.09 करोड़ में से ₹ 52.59 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 5.38 करोड़ एवं ₹ 12.54 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 13.50 लाख व्यवसायी/पक्ष के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 40.35 लाख माफी के योग्य थे तथा ₹ 1.46 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
5.	वाहनों पर कर	192.20	उपलब्ध नहीं कराया गया	मांगे जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के बीच) के बावजूद पाँच वर्षों से अधिक तक के लंबित बकायों तथा बकायों के संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किए गए थे।
6.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	9.65	8.25	₹ 9.65 करोड़ में से ₹ 8.42 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 2.40 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 1.20 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
7.	भू–राजस्व	142.92	उपलब्ध नहीं कराया गया	मांगे जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के बीच) के बावजूद पाँच वर्षों से अधिक तक के लंबित बकायों तथा बकायों के संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किए गए थे।
8.	खान एवं भूतत्व	246.62	145.89	माँगें जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के बीच) के बावजूद बकायों की संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किये गये थे।
9.	मुद्रांक एव निबंधन फीस	18.59	1.72	माँगें जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के बीच) के बावजूद बकायों की संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किये गये थे।
कुल		**5,728.97**	**500.03**	

(स्रोतः विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

31 मार्च 2016 को राजस्व के बकाये का ब्योरा निम्न **चार्ट–1.4** दर्शाता है:

चार्ट–1.4

31 मार्च 2016 को राजस्व के बकाये का ब्योरा (₹ 5,728.97) करोड़

(₹ करोड़ में)

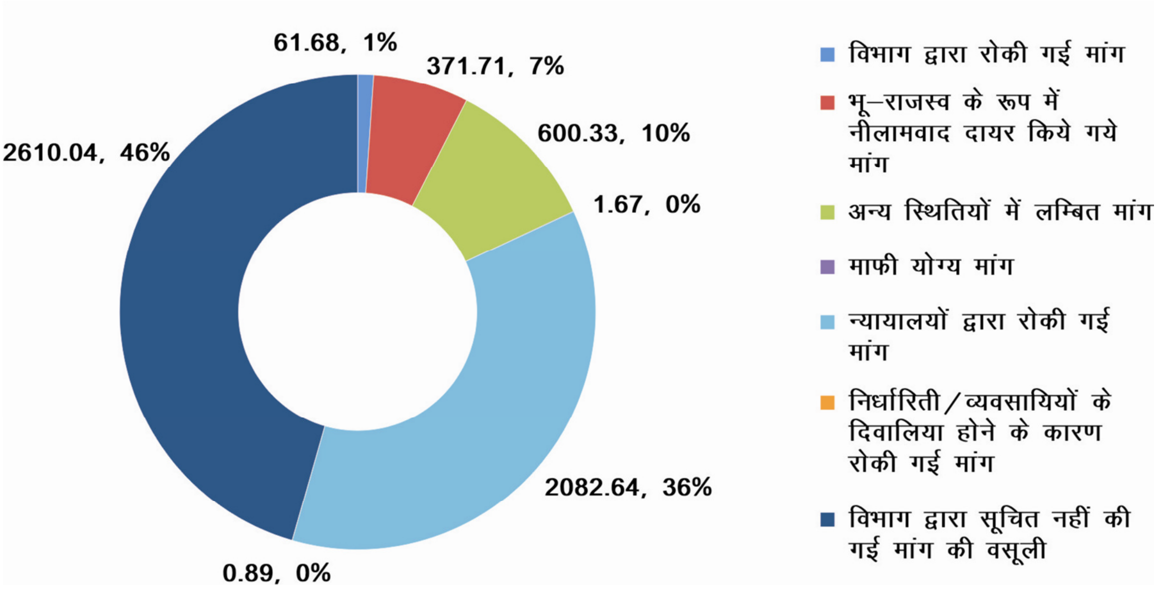

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि राजस्व के कुल बकाये ₹ 5,728.97 करोड़ में से ₹ 371.71 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गये थे, ₹ 2,082.64 करोड़ एवं ₹ 61.68 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगायी गयी थी, ₹ 89.68 लाख की राशि पर निर्धारिती/व्यवसायियों के दिवालया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 1.67 करोड़ की राशि माफी के योग्य एवं ₹ 2,610.04 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे। माँगे जाने के बावजूद चार विभागों[3] ने ₹ 600.33 करोड़ के बकाये की संग्रहण के लिए लम्बित स्थितियाँ सूचित नहीं किये थे।

राज्य मद्य निषेध नीति, 2016 के लागू होने के फलस्वरूप राज्य को अनुमानतः ₹ 4,000 करोड़[4] के राजस्व की हानि होने की संभावना है, इसलिए सरकार/विभाग को बकाये की संग्रहण की कोशिश तेज करनी चाहिए, जिससे राजस्व का कम से कम हानि हो।

1.3 कर–निर्धारण में बकाये

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क से संबंधित उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार वर्ष के आरम्भ में लंबित मामलों, निर्धारण योग्य मामलों, वर्ष के दौरान निष्पादित मामलों तथा वर्ष के अन्त में निष्पादन के लिए लंबित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका–1.5** में दिया गया है।

[3] खान एवं खनिज विभाग, निबंधन, उत्पाद और मद्य निषेध (निबंधन) विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा परिवहन विभाग।

[4] वर्ष 2015–16 के लिए बजट आकलन एवं वास्तविक राजस्व संग्रहण पर आधारित।

तालिका–1.5

कर–निर्धारण में बकाये

राजस्व शीर्ष	आरम्भ शेष	वर्ष 2015–16 में निर्धारण योग्य नए मामले	कुल निर्धारण येाग्य मामले	वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निष्पादन का प्रतिशतता (स्तम्भ 5 का 4 से)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	80,989	73,149	1,54,138	50,452	1,03,686	32.73
माल एवं यात्रियों पर कर	5,575	4,569	10,144	5,912	4,232	58.28
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर	2,166	766	2,932	644	2,288	21.96
विद्युत पर कर तथा शुल्क	324	55	379	72	307	19

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वाणिज्य–कर विभाग में वर्ष के दौरान कर–निर्धारण के निष्पादन की प्रतिशतता 19 प्रतिशत से 58.28 प्रतिशत तक थी।

1.4 कर का अपवंचन

वाणिज्य–कर विभाग तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले तथा अतिरिक्त कर हेतु माँग का सृजन का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, **तालिका–1.6** में दिया गया है।

तालिका–1.6

कर का अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाये मामले	वर्ष 2015–16 के दौरान पता लगाए गए मामले	योग	मामलों की संख्या जिनका निर्धारण/अनुसंधान पूरा किया गया तथा वर्ष 2015–16 के दौरान अर्थदण्ड इत्यादि सहित सृजित अतिरिक्त माँग		31 मार्च 2016 तक लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की सं.	माँग की राशि	
1	वाणिज्य–कर[5]	319	1,179	1,498	1,019	21.00	479
2	राज्य उत्पाद	36	11	47	शून्य	शून्य	47
3	मुद्रांक एव निबंधन फीस	4	शून्य	4	शून्य	शून्य	4

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

[5] वाणिज्य–कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य उत्पाद के मामले में वर्ष के आरंभ में लम्बित मामलों की तुलना में वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या अधिक थी, जो दर्शाता है कि कर अपवंचन के लंबित मामलों के निष्पादन में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

1.5 वापसी के लम्बित मामले

वर्ष 2015–16 के आरम्भ में वापसी से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान दी गई वापसी की अनुमति तथा वर्ष 2015–16 के अंत में लम्बित मामले, जैसाकि विभाग द्वारा सूचित किए गए थे, **तालिका–1.7** में दिये गये है।

तालिका– 1.7

वापसी के लम्बित मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्योरे	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		प्रवेश कर		मनोरंजन कर		राज्य उत्पाद	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1,647	71.34	105	16.12	6	0.02	260	16.15
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	247	136.81	14	23.33	शून्य	शून्य	464	23.85
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	208	138.31	13	11.84	शून्य	शून्य	366	11.84
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,686	69.85	106	27.61	6	0.02	358	28.16

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 70 (1) के अनुसार अगर आधिक्य राशि को आदेश होने के 90 दिनों[6] के अंदर व्यवसायी को नहीं वापस किया जाता है तो छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भुगतेय होगा।

वर्ष के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं प्रवेश कर के वापसी मामलों के निष्पादन की प्रगति काफी धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं। उन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदनों को, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकनों का शीघ्र अनुपालन, त्रुटियों एवं चूको का सुधार तथा इसके प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के

[6] 60 दिन से विस्थापित 2016 के अधिनियम 4 दिनांक 4 अप्रैल 2016 के द्वारा।

अंदर प्रारंभिक उत्तर द्वारा महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। महत्वपूर्ण वित्तीय त्रुटियों को विभाग एवं सरकार के प्रमुख को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2015 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से स्पष्ट था कि जून 2016 के अंत तक 2,008 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 10,662.75 करोड़ से सन्निहित 15,426 कंडिकाएँ लंबित थी, जैसाकि विगत दो वर्षों के तत्सबंधी आँकड़ों के साथ **तालिका–1.8** में दी गई है:

तालिका–1.8

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2014	जून 2015	जून 2016
निष्पादन के लिए लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	4,806	1,790	2,008[7]
लम्बित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	27,764	13,028	15,426
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	17,825.55	9,157.77	10,662.75

1.6.1 दिसम्बर 2015 तक बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों की विभागवार विवरणी तथा सन्निहित राशि **तालिका–1.9** में दी गई है:

तालिका–1.9

विभाग–वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य–कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर प्रवेश कर, विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि	312	6,210	5,746.49
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	राज्य उत्पाद	283	1,271	1,073.44
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	329	2,318	1,241.58
4 .	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	514	3,104	1,260.44
5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	280	799	213.58
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	290	1,724	1,127.22
कुल			**2,008**	**15,426**	**10,662.75**

7 लोक लेखा समिति एवं माननीय न्यायालयों में लंबित मामलों को छोड़ वर्ष 2006–07 तक के लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को देखे जाने/समाधानित किए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभागों पर छोड़ दिया गया है।

यहाँ तक कि दिसम्बर 2015 तक निर्गत किए गए 1,209 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए विचार कर सकती है जिससे लेखापरीक्षा अवलोकनों को निष्पादित किया जा सके और लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये कमियों पर सुधारात्मक कदम उठाया जा सके।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निष्पादन की प्रगति तेज करने एवं अनुश्रवण के लिए सरकार लेखापरीक्षा समितियाँ गठित करती है। वर्ष के दौरान मात्र दो लेखापरीक्षा समितियाँ गठित की गई थीं जिसमें ₹ 55.28 करोड़ से सन्निहित 148 कंडिकाएँ निष्पादित की गई, जैसा कि **तालिका–1.10** में वर्णित है।

<u>तालिका–1.10</u>

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिकाओं की संख्या	राशि
वाणिज्य–कर	1	95	15.04
राज्य उत्पाद	1	53	40.24
कुल	**2**	**148**	**55.28**

पूरे वर्ष (2015–16) के दौरान सिर्फ दो लेखापरीक्षा समिति की बैठक के आयोजन ने सरकार को ज्यादा संख्या में लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निष्पादन के अवसर से वंचित कर दिया, जैसाकि पूर्ववर्त्ती कंडिका में वर्णित था।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु सरकार को नियमित अंतराल पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के आयोजन हेतु उपयुक्त कदम उठाना चाहिए।

1.6.3 संवीक्षा के लिए अभिलेखों के लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया जाना

सामान्यतः लेखापरीक्षा के एक माह पूर्व ही स्थानीय लेखापरीक्षा के कार्यक्रम तैयार कर कर राजस्व/कर भिन्न राजस्व कार्यालयों को, जहाँ तक संभव हो, इसकी अग्रिम सूचना भी भेजी जाती है ताकि वे लेखापरीक्षा की संवीक्षा के लिए प्रासंगिक अभिलेखों को तैयार रख सकें।

वर्ष 2015–16 के दौरान 320 कर निर्धारण संचिकाएँ, रिटर्न, वापसी, पंजियों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इनमें से किसी भी मामले में सन्निहित राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। इन मामलों का विवरण **तालिका–1.11** में दिया गया हैः

तालिका 1.11

अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण का विवरण

विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें लेखापरीक्षा किए गए	मामलों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई
वाणिज्य–कर	2015–16	4
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य (उत्पाद)	2015–16	12
राजस्व एवं भूमि सुधार	2015–16	263
परिवहन	2015–16	8
खान एवं भूतत्व	2015–16	33
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य (निबंधन)	2015–16	–
कुल		**320**

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को, महालेखाकार संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित करते हैं। विभागों/सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने को निश्चित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं के अंत में संसूचित किया जाता है।

सैंतीस प्रारूप कंडिकाओं, एक निष्पादन लेखापरीक्षा, तथा दो विषयगत लेखापरीक्षा को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को मई एवं जुलाई 2016 के बीच भेजा गया था। निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य उत्पाद से संबंधित दो कंडिकाओं (एक आंशिक) तथा 'मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक विषयगत लेखापरीक्षा का उत्तर भेजा। वाणिज्य कर विभाग ने वाणिज्य कर से संबंधित दो कंडिकाओं (एक आंशिक) तथा 'वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों के संग्रहण हेतु प्रणाली' पर एक विषयगत लेखापरीक्षा का उत्तर भेजा। परिवहन विभाग ने एक कंडिका का आंशिक उत्तर एवं खान एवं भूत्तत्व विभाग ने छह कंडिकाओं का उत्तर भेजा। पुनः परिवहन विभाग ने 'मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा का उत्तर भेजा। शेष विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने अनुरोध (मई एवं अगस्त 2016 के बीच) किये जाने के बावजूद भी उत्तर नहीं भेजा एवं इसे सरकार/विभाग के मंतव्य के बगैर ही प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही–संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग, बिहार सरकार के अनुदेशों का मैनुअल (1998) उपबंधित करता है कि संबंधित विभागों के सरकार के सचिव लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने के दो माह के अंदर लेखापरीक्षा में जाँच के बाद, लोक लेखा समिति के किसी बुलावे या सूचना की प्रतीक्षा किये बगैर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणी विधान सभा सचिवालय को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रावधानों के बावजूद विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब किए गए। जुलाई 2007 से मार्च 2016 के बीच वर्ष 2005–06 से 2014–15 को समाप्त होने

वाले वर्ष से संबंधित बिहार सरकार के राजस्व प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जिसमें कुल 322 कंडिकाएं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थी, को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2005–06 से 2014–15 से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 142 कंडिकाओं पर संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2016)।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को निबटाने से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों के निराकरण से संबंधित क्रिया–विधि के विश्लेषण के क्रम में एक विभाग से संबंधित दस वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया तथा इसे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

विगत नौ वर्षों के दौरान राजस्व शीर्ष '0853 – अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग' के तहत् खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ विभाग की क्रिया–विधि एवं वर्ष 2007–08 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाएँ 1.7.1 से 1.7.3 में उल्लिखित है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2015–16 के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाओं की सारांशित स्थिति 31 मार्च 2016 तक **तालिका–1.12** में दर्शाया गया है।

<u>तालिका–1.12</u>

निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निष्पादन			अंत शेष		
		नि.प्र.	कंडिका	राशि	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	नि.प्र.	कंडिका	राशि	नि. प्र.	कंडिका	राशि
1	2007–08[8]	–	–	–	19	89	52.63	–	–	–	19	89	52.63
2	2008–09	19	89	52.63	51	237	95.74	3	5	0.15	67	321	148.22
3	2009–10	67	321	148.22	31	175	230.74	–	6	0.73	98	490	378.23
4	2010–11	98	490	378.23	27	161	281.86	–	17	1.95	125	634	658.14
5	2011–12	125	634	658.14	39	226	149.04	–	8	1.42	164	852	805.76
6	2012–13	164	852	805.76	31	225	73.88	3	31	129.82	192	1046	749.82
7	2013–14	192	1046	749.82	39	226	61.20	–	2	0.01	231	1270	811.01
8	2014–15	231	1270	881.01	51	344	184.53	–	4	0.18	282	1610	995.36

[8] लोक लेखा समिति एवं माननीय न्यायालयों में लंबित मामलों को छोड़ वर्ष 2006–07 तक के लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को देखे जाने/समाधानित किए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभागों पर छोड़ दिया गया है।

9	2015–16	282	1610	995.36	38	259	229.78	1	16	0.86	319	1853	1224.28

सरकार पुराने कंडिकाओं के निष्पादन हेतु विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समितियों की तदर्थ बैठकें आयोजित करती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 के अन्त में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या संचयित होकर कुल 1,853 कंडिकाओं के साथ 319 हो गयी। यह इंगित करता है कि इस संबंध में विभाग के द्वारा कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया था जिसके फलस्वरूप बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का भारी संचयन हुआ।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाएँ एवं विभाग द्वारा स्वीकृत मामले एवं उनमें की गई वसूली की स्थिति **तालिका–1.13** में वर्णित है।

तालिका–1.13

स्वीकृत मामलों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं में सन्निहित राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं में सन्निहित राशि	स्वीकृत मामलों के वसूली की संचयी स्थिति 31.03.2016 तक
2005–06	2	6.51	1	2.04	शून्य
2006–07	1(समीक्षा)	38.32	1 (आंशिक)	26.21	शून्य
2007–08	4	2.38	3	1.21	शून्य
2008–09	2	2.33	2	2.33	शून्य
2009–10	5	4.46	3+1(आंशिक)	1.80	0.64
2010–11	3	5.53	3	5.53	6.09
2011–12	6	9.04	2+1(आंशिक)	6.04	1.13
2012–13	1(समीक्षा)	23.85	1 (आंशिक)	शून्य	शून्य
2013–14	7	10.58	1	0.33	शून्य
2014–15	5	60.69	2+1(आंशिक)	1.74	0.95

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि विगत दस वर्षों के दौरान वर्ष 2010–11 को छोड़कर स्वीकृत मामलों में भी वसूली की स्थिति काफी धीमी रही। स्वीकृत मामलों की वसूली संबंधित पक्षों से वसूलनीय बकाये के रूप में माँग की जानी थी। विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत मामलों के निराकरण से संबंधित कोई तंत्र नहीं बनाया गया था। उचित तंत्र के अभाव में विभाग स्वीकृत मामलों की वसूली का अनुश्रवण नहीं कर सका।

विभाग को स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित बकायों के निराकरण तथा उचित वसूली हेतु अनुश्रवण के लिए शीघ्र कदम उठाना चाहिए।

1.7.3 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित विभाग/सरकार को उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर अंतिम सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया

जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रुप देने के समय विभाग/सरकार के मंतव्यों को समाहित किया जाता है।

खान एवं भूतत्व विभाग की दो निष्पादन लेखापरीक्षा गत दस वर्षों मे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी, जिसमे आठ अनुशंसाएँ थी। तथापि अभी तक (अक्टूबर 2016) विभाग ने इन अनुशंसाओं पर कोई कारवाई नही किया था।

1.8 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन

विभिन्न विभागों के इकाई कार्यालयों को उनके राजस्व की स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों के पूर्व की प्रवृति तथा अन्य मानकों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम की श्रेणी में बांटा जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को, सरकारी राजस्व के महत्वपूर्ण मामलों एवं कर प्रशासन, जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर जारी श्वेत पत्र, वित्त आयोग (केन्द्र एवं राज्य) का प्रतिवेदन, करारोपण सुधार समिति की अनुशंसाओं, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व उगाही की सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के तत्वों, पिछले पाँच वर्षों में लेखापरीक्षा आच्छादन एवं इसका प्रभाव आदि के जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 1,198 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ थी, जिसमें 296 इकाइयों को योजना में लिया गया तथा 269 इकाइयों[9] की लेखापरीक्षा की गई, जो कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 22.61 प्रतिशत है। विवरण **निम्न तालिका–1.14** में दर्शाये गये हैं:

तालिका–1.14

वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा कार्यान्वयन

विभाग	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की संख्या	योजना में लिये गये इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या
वाणिज्य–कर	63	40	39
उत्पाद	51	39	37
भू–राजस्व	839	108	91
परिवहन	49	35	33
मुद्रांक एवं निबंधन फीस	140	39	34
खान एवं भूतत्व	56	35	35
कुल	**1,198**	**296**	**269**

उपर वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अलावे कर प्रशासन की प्रभावकारिता की जाँच हेतु एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा दो विषयगत लेखापरीक्षा भी की गई।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियाँ

[9] राज्य मे पंचायत चुनाव एवं राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग के बन्दोबस्ती कार्यालयों के कार्यशील नही रहने के कारण योजना मे लिये गये 27 इकाईयों का लेखापरीक्षा नही कराया जा सका।

वर्ष 2015–16 के दौरान वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस, भू–राजस्व तथा खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ से संबंधित 269 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, जिनमें अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के कुल 2,990 मामलों, जिनमें कुल ₹ 3,663.11 करोड़ की राशि सन्निहित थी, परिलक्षित हुए। वर्ष 2015–16 के दौरान विभागों ने 293 मामलों में ₹ 275.41 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

1.10 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 'मोटर वाहन पर कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 'मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण' एवं 'वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों के संग्रहण हेतु प्रणाली' पर दो लेखापरीक्षा सहित कुल 40 कंडिकाएँ (उपरोक्त संदर्भित वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों, जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समाहित नहीं किए जा सके थे, से चयनित) शामिल हैं जिसमें ₹ 1,416.97 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

विभागों/सरकार ने कुल ₹ 796.14 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार (अक्टूबर 2016 तक) किया, जिसमें से ₹ 22.29 करोड़ की वसूली की गई थी। शेष मामलों में कोई वसूली सूचित (अक्टूबर 2016) नहीं किये गये थे। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय II से VI में की गई है।